न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51/2024

अपीलांट –

1. अब्दुला पुत्र रेशमा
2. इस्लाम पुत्र रेशमा
3. ईमाम पुत्र रेशमा
4. नूरा पुत्र रेशमा जाति मुसलमान निवासी बन्ने की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. अकलू पुत्र जाम
2. अयूब पुत्र जाम
3. सरीफ पुत्र जाम
4. मनरखां पुत्र मुकीम
5. सुलेमान पुत्र मुकीम
6. हसन पुत्र मुकीम जाति मुसलमान निवासी बन्ने की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1490 दिनांक 22.07.2024 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1से6 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 7 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1490 दिनांक 22.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मेहरानगढ़ के खेत खसरा नंबर 542 के खातेदारान अकलू पुत्र जाम, अयूब पुत्र जाम, सरीफ पुत्र जाम, अब्दुला पुत्र रेशमा, इस्लाम पुत्र रेशमा, [illegible] रेशमा, मनरखां पुत्र मुकीम, सुलेमान पुत्र मुकीम, हसन पुत्र मुकीम [illegible] मुसलमान निवासी बन्ने की बस्ती तहसील रामसर जिला [illegible] खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोत [illegible] 19.07.2024 को [illegible]–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन [illegible] के अनुसार विभाज[illegible] का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी कोनरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1490 दिनांक 22.07.2024 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.10.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पों. संख्या 1 से 6 के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि मौजा मेहरानगढ़ पटवार हल्का कोनरा के खेत खसरा संख्या 542 रकबा 16–3169 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स को विरासत से प्राप्त हुई है। उतरदातागण ने अपीलांट्स को जानकारी दिये बिना ही अपीलांट्स को धोख मे रखते हुए हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर अपीलांट्स को जानकारी दिये बिना ही मौके की स्थिति के विरूद्ध सहमति विभाजन का इन्द्राज करते हुए स्वीकृत करवाया गया है। इस विभाजन के बारे अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा उतरदाता संख्या 01 से 06 ने राजस्व कर्मचारीयों के साथ मिलीभगत कर छिपे तौर पर षड्यंत्र पूर्वक बंटवाडा करवा लिया तथा नामान्तरकरण के द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवा लिया है। अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 1से6 की भूमि का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं कर गलत पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के बारे में अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं होने दी गई तथा उतरदाता संख्या 1 से 6 ने राजस्व कर्मचारीयों के साथ मिलीभगत कर छिपे तौर पर षड्यंत्र पूर्वक बंटवाडा करवा लिया तथा नामान्तरकरण के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवा लिया है। वर्तमान में अपीलांट्स के हक हिस्से व कब्जा काश्त में उतरदातागण द्वारा हस्तक्षेप करने लगे तब तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार चौहटन से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 01.10.2024 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र [illegible] अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए [illegible] किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जावें एवं अपीलाधीन आदेश [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि मौजा मेहरानगढ़ में खेत खसरा संख्या 542 रकबा 16–3169 हैक्टेयर भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 एवं 6 के पैतृक भूमि थी। पक्षकारान द्वारा दिनांक 19.07.2024 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी कोनरा द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2024 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। इसके साथ ही अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट्स को धोखे मे रखकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा कराया गया है। यदि अपीलांट्स को धोखे में रखकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा कराया तो, अपीलांट्स द्वारा अवश्य ही रेस्पों. के विरूद्ध धोखाधडी का फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जाता, लेकिन अपीलांट्स द्वारा रेस्पों. के विरूद्ध आज तक किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन अपीलांट्स की पूर्ण सहमति एवं जानकारी से कराया गया है, जो सही एवं विधिवत है, इस कारण अपीलांट्स यह अपील चलने योग्य नहीं है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा मेहरानगढ़ के खेत खसरा नंबर 542 के खातेदारान अकलू पुत्र जाम, अयूब पुत्र जाम, सरीफ पुत्र जाम, अब्दुला पुत्र रेशमा, इस्लाम पुत्र रेशमा, ईमाम पुत्र रेशमा, नूरा पुत्र रेशमा, मनरखां पुत्र मुकीम, सुलेमान पुत्र मुकीम, हसन पुत्र मुकीम कौम सिंधी मुसलमान निवासी बन्ने की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 19.07.2024 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हल्का पटवारी कोनरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश स्वीकृति आदेश क्रमांक 1490 दिनांक 22.07.2024 पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.10.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 01 से 6 के मध्य पूर्व में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणी, बाडे आदि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि उक्त अपीलाधीन आदेश के विभाजन नक्शा ट्रेस में अपीलांट संख्या 03 के हस्ताक्षर हस्ताक्षर अंकित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। जिसकी अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी इसलिए अपीलांट की यंह अपील मयाद बाहर के साथ सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पो. द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विभाजन नक्शा ट्रेस में अपीलांट संख्या 03 ईमाम के हस्ताक्षर अंकित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश अपूर्ण रूप से पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2012 (1)RRT 558 प्रस्तुत की गई है जिसमें राजीनामा डिक्री की विषयवस्तु है जबकि हस्तगत प्रकरण में विभाजन नक्शा में पक्षकार ईमाम की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान अंकित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश पूर्ण सहमति से अनुसार नहीं होने से प्रस्तुत निर्णय नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के हिस्सों एवं मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1490 दिनांक 22.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा, निष्फ हिस्सा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर